

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की
अनुसूचित क्षेत्रों
बारे
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
2006—2007

जन-जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

अनुक्रमणिका

<u>अध्याय</u>	<u>पृष्ठ</u>
1. परिचय	1-6
2. प्रशासनिक ढांचा, कार्मिक नीति	7-13
3. संरक्षणात्मक एवं प्रतिशोषणात्मक उपाय	14-15
4. अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति	16-24
5. जन-जातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास	25-28
6. कानून एवं व्यवस्था स्थिति	29-30
7. <u>विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप:</u>	
क) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	31-32
ख) डा० यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	33
ग) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	33-34
घ) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	35
ड.) हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	36-39
च) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम	39-41

अध्याय-1

परिचय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अनुसूची-5 के अनुच्छेद-6 के अन्तर्गत प्रदेश के किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति जिलों को सम्पूर्ण रूप से तथा जिला चम्बा के पांगी और भरमौर उपमण्डलों को हिमाचल प्रदेश (आदेश 1975 संवैधानिक आदेश संख्या 102) दिनांक 21 नवम्बर 1975 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इन क्षेत्रों में 2001 की जनसंख्या के अनुसार 76.21% अनुसूचित जन-जाति, 9.61% अनुसूचित जाति तथा 14.18% अन्य लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में किन्नौरा, बौद्ध, पंगवाला तथा स्वांगला प्रमुख अनुसूचित जन-जाति के लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 23,656 वर्ग किलोमीटर है जोकि प्रदेश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत भाग है। इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 1,66,402 है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व समस्त प्रदेश के 109 की तुलना में इन क्षेत्रों की केवल 7 है। 1991-2001 दशक में जन-जातीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सम्पूर्ण प्रदेश में 17.54 प्रतिशत के मुकाबले 9.88 प्रतिशत रही। प्रदेश के इस अनुसूचित क्षेत्र को विकास के लिए 5 एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्षेत्रों, नामतः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभक्त किया गया है।

2001 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

जिला/परियोजना क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या			प्रति वर्ग कि.मी. अनुसूचित जन-जाति घनता	अनु.जन-जाति जनसंख्या की सकल जनसंख्या से प्रतिशतता
		अनुसूचित जन-जाति	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.किन्नौर						
1. किन्नौर	6401 (27.06)	63893	14441	78334 (47.07)	10	81.56
2. लाहौल-स्पिति						
2. लाहौल	6244 (26.40)	17933	4612	22545 (13.54)	3	79.54
3. स्पिति	7591 (32.09)	8910	1769	10679 (6.41)	1	83.43
3. चम्बा						
i) पांगी	1601 (6.77)	16173	1425	17598 (10.57)	10	91.90

1	2	3	4	5	6	7
ii) भरमौर	1816 (7.68)	34891	2355	37246 (22.38)	19	93.67
योग:	23656 (100.00)	141800 (85.22)	24602 (14.78)	166402 (100.00)	6	85.22
हिमाचल प्रदेश (2001 जनगणना के अनुसार)	55673	260575 (5.53)	5741200 (94.47)	6077900 (100.00)	109	5.53
हिमाचल प्रदेश (जनवरी 2003 के बाद)	55673	*356777 (5.87)	5721123 (94.13)	6077900 (100.00)	109	5.53

Note: * Includes population of Gaddi and Gujjars of areas merged with H.P. in 1966 declared as Scheduled Tribes in 2003.

नोट: कोष्ठों में प्रतिशतता दी गई है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार इन क्षेत्रों की अनुसूचित जन-जाति पुरुष तथा स्त्री जनसंख्या

निम्न प्रकार से है:-

जिला/परियोजना क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या			प्रति वर्ग कि.मी. घनता	लिंग अनुपात (000प्र. के प्रति स्त्रियां)
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री		
1. किन्नौर						
1. किन्नौर	6401 (27.06)	63893 (82.45)	31555	32338	10	1024
2. लाहौल-स्पिति						
i) लाहौल	6244 (26.40)	17933 (79.54)	8961	8972	3	1001
ii) स्पिति	7591 (32.09)	8910 (83.43)	4377	4533	1	1035
3. चम्बा						
i) पांगी	1601 (6.77)	16173 (91.90)	8135	8038	10	988
ii) भरमौर	1816 (7.68)	34891 (93.67)	17820	17071	19	957
योग:-	23655 (100.00)	141800 (100.00)	70848 (49.96)	70952 (50.04)	6	1001
हिमाचल प्रदेश (2001 जनगणना के अनुसार)	55673	260575 (100.00)	130851 (50.20)	129724 (49.80)	5	991
हिमाचल प्रदेश (जनवरी 2003 के बाद)	55673	*356777 (100.00)	—	—	6	—

Note: * Includes population of Gaddi and Gujjars of areas merged with H.P. in 1966 declared as Scheduled Tribes in 2003.

जन-जातीय क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 49.96:50.04 है। सकल जनसंख्या बदस्तूर ग्रामीण वर्गीकृत है परन्तु वर्ष 1989-90 में एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना के मुख्यालय, नामतः रिकांगपिओ, केलांग, काजा, किलाड़ तथा भरमौर को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा 66 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। इसके इलावा वर्ष 2000-01 में तावो (स्पिति) तथा उदयपुर (लाहौल) को भी इस अधिनियम के तहत लाया गया है। जिसके फलस्वरूप ये परियोजना मुख्यालय ग्रामीण तथा शहरी दोनों सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन अनुसूचित क्षेत्र में व्यवसायिक आकृति निम्न प्रकार से है:-

परियोजना क्षेत्र	मुख्य कर्मी	सीमान्त कर्मी	अकर्मी	सकल जनसंख्या
1.	2.	3.	4.	5.
1. किन्नौर	40313 (50.46)	7498 (9.57)	30523 (38.96)	78334
2. लाहौल	14003 (62.11)	1184 (5.25)	7358 (32.63)	22545
3. स्पिति	5206 (48.74)	695 (6.50)	4778 (44.74)	10679
4. पांगी	5330 (30.28)	4086 (23.21)	8182 (46.49)	17598
5. भरमौर	14709 (39.49)	5677 (15.24)	16860 (45.26)	37246
योग:-	79561 (47.81)	19140 (11.50)	67701 (40.68)	166402 (100.00)
हिमाचल प्रदेश	1963882 (32.31)	1028579 (16.92)	3085439 (50.76)	6077900 (100.00)

नोट: कोष्ठों में सकल जनसंख्या प्रतिशतता दी गई है।

परियोजना क्षेत्र का नाम	मुख्यकर्मी		खेतीहर		खेतीहर मजदूर	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. किन्नौर	25033	15280	11468	12849	637	215
2. लाहौल	8413	5590	1584	4652	98	33
3. स्पिति	3382	1824	929	1043	22	33
4. पांगी	3590	1740	1346	1330	28	0
5. भरमौर	9268	5441	5411	5030	31	13
योग:-	49686	29875	20738	24904	816	294
हिमाचल प्रदेश	1333361	630521	578807	510317	26499	9657

इन क्षेत्रों के मुख्य कर्मियों में पुरुष व स्त्रियों की भागीदारी निम्न प्रकार से है।

मुख्य कर्मियों में अनुसूचित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के सकल अनुपात से अधिक है। प्रदेश के कुल 32.31 प्रतिशत के मुकाबले 37.54 प्रतिशत महिलाएं इन क्षेत्रों में ऐसे कर्मी हैं। उपरोक्त के इलावा अन्य कर्मियों में इन की भागीदारी इस प्रकार है।

परियोजना क्षेत्र का नाम	पशुधन, वन, मत्स्य, शिकार एवं समबद्ध सेवाएं		खनन सेवाएं		मुरम्मत	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. किन्नौर	872	138	15	1	1,277	186
2. लाहौल	391	82	1	—	104	56
3. स्पिति	125	57	—	—	43	31
4. पांगी	209	12	10	7	25	5
5. भरमौर	664	8	2	—	248	76
योग:—	2,261	297	28	8	1,702	354
हिमाचल प्रदेश	40,392	3,565	4,593	75	83,302	8,206

निर्माण व इस से सम्बन्धित कार्यों में पुरुष तथा स्त्रियों की भागीदारी:—

परियोजना क्षेत्र का नाम	निर्माण कार्य		व्यापार एवं वाणिज्य		परिवहन, भण्डार, संचार सेवाएं	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1. किन्नौर	3,479	443	759	23	84	6
2. लाहौल	1,125	240	221	42	122	2
3. स्पिति	633	86	78	3	73	2
4. पांगी	643	82	94	20	45	2
5. भरमौर	568	17	178	2	88	—
योग:—	6,448	868	1,330	90	612	12
हिमाचल प्रदेश	82,361	3,885	75,312	2,941	33,583	765

अन्य सेवाओं में इन क्षेत्रों में पुरुष और स्त्रियों की भागीदारी :-

परियोजना क्षेत्र का नाम	पुरुष	स्त्री
1.	20.	21.
1.किन्नौर	5,589	548
2. लाहौल	2,136	243
3.स्पिति	1,295	122
4.पांगी	572	99
5.भरमौर	1,027	162
योग:-	10,619	1,174
हिमाचल प्रदेश	2,20,677	35,514

साक्षरता:

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों से अनुसूचित क्षेत्रों में साक्षरता दर में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1971 की 21.89 प्रतिशत साक्षरता के मुकाबले 2001 में यह दर 70.38 प्रतिशत आंकी गई। पिछले चार दशकों में साक्षरता की प्रतिशतता क्षेत्रवार इस प्रकार रही है :-

जनगणना वर्ष	हि0प्र0	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	सकल अनुसूचित क्षेत्र
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1971	31.96	27.70	27.15	23.90	10.13	10.53	21.89
1981	42.48	36.84	31.35	25.19	19.58	22.50	30.73
1991	63.86	58.36	57.07	56.24	38.39	44.81	53.15
2001	76.50	75.20	72.64	74.14	60.32	62.22	70.38

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग वार साक्षरता ब्यौरा इस प्रकार है:-

परियोजना क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
1.	2.	3.	4.
1.किन्नौर	84.30	64.40	75.20
2.लाहौल	81.23	61.60	72.64
3.स्पिति	86.41	58.71	74.14
4.पांगी	74.60	44.17	60.32
5. भरमौर	73.54	50.09	62.22
योग:-	80.74	58.25	70.38
हिमाचल प्रदेश	85.30	67.40	76.50

अनुसूचित जन-जाति वर्ग:-

राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत प्राख्यापित अनुसूचित जन-जाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 तथा राष्ट्रपति के आदेश अधिसूचना Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act., 2002 No. 10 of 2003 के अधीन राज्य में निम्न जातियां अनुसूचित जन-जाति घोषित की गई हैं:-

1. भोट, बौद्ध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा;
5. किनौरा, किन्नौरा;
6. लाहुला ;
7. पंगवाला ;
8. स्वांगला ;
9. बेटा, बेडा; तथा
10. डेम्बा, गारा, जोबा.

उपरोक्त अनुसूचित जन-जातियों में से भोट, बौद्ध, किनौरा, किन्नौरा, लाहुला, पंगवाला तथा स्वांगला जन-जाति के समुदाय प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं।

अध्याय-2

प्रशासनिक ढांचा तथा कार्मिक नीति

प्रशासनिक ढांचा:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र को 5 एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्रमशः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभाजित किया गया है। जिला किन्नौर एवं एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना किन्नौर में कल्पा, पूह व निचार विकास खण्ड पड़ते हैं तथा शेष परियोजना क्षेत्र उसी नाम के विकास खण्ड के समरूप हैं।

वर्ष 1986 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा एक समान था परन्तु अप्रैल 1986 में परियोजना क्षेत्र पांगी में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली का सूत्रपात करते हुए वहां आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा वहां स्थित सभी कार्यालयों का विलय आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय में किया गया और उन्हें प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई ताकि वे परियोजना क्षेत्र में उच्चतम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार राज्य तथा परियोजना स्तर के बीच इकहरी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई। यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा और अन्य परियोजना क्षेत्रों से ऐसी पद्धति लागू करने की मांगोपरान्त 15 अप्रैल, 1988 से अन्य क्षेत्रों में भी लागू की गई। जिला किन्नौर में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 19.7.1996 से समाप्त कर दी गई थी जिसे वर्ष 1998 में पुनः बहाल कर दिया गया है। नए प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार हैं:-

परियोजना क्षेत्र

1. पांगी
2. किन्नौर
3. लाहौल
4. स्पिति
5. भरमौर

विशिष्ट प्राधिकारी

- आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड़
उपायुक्त किन्नौर स्थित रिकांगपिओ
उपायुक्त, लाहौल-स्पिति स्थित केलांग
अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर

संक्षेप में आवासीय आयुक्त, पांगी के कृत्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:-

1. राजस्व मामलों में उन्हें आयुक्त की शक्तियां प्राप्त हैं:-
2. किलाड़ स्थित सभी कार्यालयों का उनके कार्यालय में विलय किया गया है और वे उन्हीं के कार्यालय के अभिन्न अंग समझे जाते हैं, भले ही उनका अलग कैडर हो ;
3. किलाड़ स्थित कार्यालयों द्वारा आवासीय आयुक्त से कोई पत्राचार नहीं होगा तथा सभी कार्यालय अपनी नस्तियां उन्हें उनके आदेशार्थ प्रस्तुत करेंगे ;

4. क्योंकि आवासीय आयुक्त को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त होंगी अतः उन द्वारा सूत्रपातित/पुनारवलोकित राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से न भेजकर सीधे सम्बन्धित विभागीय प्रशासनिक सचिव को, भेजी जाएंगी और इन्हें विभागाध्यक्ष के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में वे अन्तिम प्रतिग्रहण अधिकारी होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के लिए वे अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किए गए हैं तथा राजपत्रित कर्मचारियों को वे लघु दण्ड देने के लिए सक्षम होंगे;
5. पांगी क्षेत्र में सभी विभागों के विभागीय कार्य/कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभागाध्यक्षों को प्राप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का वे प्रयोग करेंगे। विभागाध्यक्षों की क्षमता से ऐसे मामलों में जहां कोई बाहर के मामले हो आवासीय आयुक्त द्वारा सीधे आयुक्त (जन-जातीय विकास) को भेजे जाएंगे; तथा
6. पांगी को और पांगी से स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवासीय आयुक्त की पूर्व अनुमति उपरान्त किए जाएंगे

परियोजना सलाहकार समिति:

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए अलग परियोजना सलाहकार समिति गठित है। इस समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक हैं तथा जन-जातीय सलाहकार परिषद के स्थानीय सदस्य तथा परियोजना स्तरीय विभागीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त जैसा भी प्रयुक्त हो, इस समिति के उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं इस के अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक परियोजना क्षेत्र से क्रमशः 2 पंचायत प्रधान/ 2 सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से तथा 2 सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में से शामिल किये गये हैं। इन क्षेत्रों के सांसद भी इस बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं।

यह समिति जन-जातीय उप-योजना के प्रारूपीकरण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करती है तथा नाभिक बजट के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आवंटन एवं अनुमोदन भी प्रदान करती है।

जन-जातीय सलाहकार परिषद:

संविधान के अनुच्छेद 244 (I) तथा अनुसूची-5 के भाग-बी के पैरा-4 के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी मामलों में सलाह देने हेतु 13.12.1977 से हि0प्र0 जन-जातीय सलाहकार परिषद गठित है। इस परिषद की प्रथम बैठक 24.6.1978 को हुई। पहली बैठक से अब तक इसकी 38 बैठकें हो चुकी हैं अन्तिम बैठक दिनांक 02.08.2007 को सम्पन्न हुई। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं। अध्यक्ष सहित परिषद के अधिकतम बीस सदस्य हैं। यह परिषद केवल परामर्शदात्री ही नहीं बल्कि इसकी सिफारिशें आम तौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती हैं या स्वयं परिषद द्वारा ही

विचार विमर्श उपरान्त छोड़ दी जाती हैं। मामलों पर परामर्श देने के अतिरिक्त यह जन-जातीय उप-योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करती है। दिनांक 30-11-2006 को हुई बैठक में कुल 119 मदों पर चर्चा हुई तथा कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण:

हि0प्र0 वित्त (रैगुलेशन) विभाग, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: फिन(सी)ए(2)-2/83, दिनांक 24 मई, 1986 द्वारा आवासीय आयुक्त पांगी को बजट मांग संख्या 31 के अधीन विभिन्न मुख्य शीर्षों एवं लघु शीर्षों के लिए विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। यथोचित शक्तियां अब अन्य क्षेत्रों में पूर्व वर्णित विशिष्ट प्राधिकारियों को भी उपलब्ध हैं।

नियम 19.2 (हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, खण्ड-1, 1971) के अधीन आवासीय आयुक्त, पांगी तथा अन्य विशिष्ट प्राधिकारियों को वित्त विभाग (विनियम) की अधिसूचना संख्या:फिन(सी)-ए(2)-23/76, दिनांक 14.12.1976 के आधार पर 'सम्पूर्ण शक्तियां' प्रदान की गई हैं। जिन्हें वित्त (विनियम) विभाग के उपरोक्त वर्णित समसंख्यक पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1978 द्वारा बढ़ाया गया है। ऐसी ही शक्तियां निम्न वर्णित अन्य अधिकारियों को भी प्राप्त हैं परन्तु यह वर्णनीय है कि ऐसी शक्तियां विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी संवितरण अधिकारी को प्राप्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं:-

(लाख रूपये)

क्र0सं0	शक्तियों का स्वरूप	प्रदत्त शक्तियां			
		उपमण्डल अधिकारी (ना.)	परियोजना अधिकारी ज.जा.वि.	अतिरिक्त निदेशक ज.जा.वि.	आयुक्त, ज.जा.वि. /आवासीय आयुक्त, पांगी/ उपायुक्त, किन्नौर, लाहौल- स्पिति तथा चम्बा व अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	एकाकी स्कीमों की स्वीकृति जिसमें कार्यों का रख-रखाव सम्बन्धी प्रशासनिक अनुमोदन भी शामिल हो।	0.10	0.50	2.00	सम्पूर्ण शक्तियां
2.	स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए सामग्री कय की स्वीकृति अनुमोदित माध्यमों द्वारा।	0.10	0.20	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां
3.	स्थानी संस्थाओं को अनुदान के स्वीकृति(पृथक पृथक मामलों में)	0.05	0.10	0.25	सम्पूर्ण शक्तियां
4.	मूल कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति (पृथक पृथक मामलों में)	0.10	0.50	5.00	सम्पूर्ण शक्तियां
5.	औजार उपकरण तथा मशीनरी की मरम्मत की स्वीकृति	0.02	0.05	शुन्य	सम्पूर्ण शक्तियां

कार्मिक नीति:

स्थानान्तरण नीति

स्थानान्तरण नीति के अधीन सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को दूरस्थ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अवधि दो शीतकाल तथा तीन ग्रीष्मकाल निर्धारित की हुई है सिवाए इसके कि जब कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी इच्छा से अपनी अवधि जारी रखना चाहे। कार्यकाल समाप्ति उपरान्त अधिकारी/कर्मचारी को अपनी पसन्द के पांच स्थानों में से किसी एक में समायोजित करने की कोशिश की जाती है। इन क्षेत्रों में सेवा के लिए पृथक सब-काडर बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति इन क्षेत्रों में चार वर्ष के लिए अपेक्षित है ; साथ ही, उन कर्मचारियों, अधिकारियों को प्राथमिकता दी जानी अपेक्षित है जिन्होंने पहले इन क्षेत्रों में सेवा नहीं की है।

इन क्षेत्रों में कार्यकाल के उपरान्त स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को नए स्थान पर बिना बारी आवास आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। जो अधिकारी/कर्मचारी पांगी तथा लाहौल-स्पिति को स्थानान्तरित हों और यदि पिछले स्थान पर उनके पास सरकारी आवास प्राप्त हो तो वे अपने पिछले स्थान पर साधारण किराया पर लिखित प्रार्थना के उपरान्त ऐसा आवास रख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत गृह निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि आरक्षित की गई है।

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अधोलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त हैं:-

- (1.) लाहौल-स्पिति, किन्नौर, भरमौर तथा पांगी में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का निश्चित अवधि के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है जैसे कि लाहौल में छः मास का दो बार स्पिति में नौ मास का तथा तीन मास का, किन्नौर में चार मास का अक्टूबर मास में, पांगी में छः मास का दो बार तथा भरमौर में चार मास का नवम्बर मास में। ऐसा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-1, 1971 के नियम 10.26 के अधीन किया जाता है।
- (2.) बढी हुई दरों पर प्रतिपूरक भत्ता जो कि वर्तमान में 11.6.1999 से प्रचालित है।

ग्रुप सहित क्षेत्र

- | | | | |
|---------|---|---|--------------------------|
| ग्रुप-1 | चम्बा जिला की पांगी तहसील | : | 670/-रु0 प्रति मास नियत |
| ग्रुप-2 | (क) सम्पूर्ण जिला लाहौल-स्पिति | : | 620/- रु0 प्रति मास नियत |
| | (ख) चम्बा जिला की भरमौर तहसील की निम्न पंचायतें:- | | |
| | 1. कुगती, 2. देयोल, 3. बजौल, 4. नयागांव, 5. तुन्दाह तथा 6. बड़गांव | | यथोपरि |
| | (ग) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत जगत का ग्राम घाटू : | | यथोपरि |
| | (घ) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत चनौता का ग्राम कनारसी : | | यथोपरि |
| | (ड) जिला किन्नौर की निम्न पंचायतें:- | | |
| | 1. कुन्नु-चारंग, 2. हांगों, 3. आसरंग, 4. छितकुल, 5. किन्नौर का 15/20 क्षेत्र, यानि की ग्राम पंचायतें रूपी, छोटा खम्बा तथा नाथपा : | | यथोपरि |
| ग्रुप-3 | किन्नौर जिला के उप मण्डल पूह का शेष क्षेत्र : | | 520/- रु0 प्रतिमाह नियत। |
| ग्रुप-4 | (क) किन्नौर जिला का शेष क्षेत्र : | | 420/-रु0 प्रति मास नियत। |
| | (ख) तहसील भरमौर (जिला चम्बा) का शेष क्षेत्र : | | यथोपरि। |

अनुसूचित क्षेत्र को मंहगा व दूरस्त वर्गीकृत किया गया है तथा यात्रा भत्ता के अन्तर्गत ठहराव के लिए वहां बढी हुई दरों पर दैनिक भत्ता दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 120 रूपये प्रति दिवस है।

महेश्वर प्रसाद कमेटी रिपोर्ट का पालन:

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। सभी स्तरों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का उदारतया विकेन्द्रीकरण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को बढे हुए दर पर अनुपूरक भत्ता तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उपलब्ध है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में अधिकारियों /कर्मचारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण सम्बन्धी निश्चित नीति बना रखी है। समिति के निष्कर्षों पर राज्य सरकार ने गम्भीरतापूर्वक मनन किया है और निम्न कार्यवाही की गई :-

- 1) परियोजना स्तर पर योजना क्रियान्वयन अधिकारियों को एक पद उपर की वित्तीय/तकनीकी / प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई है ;
- 2) छुट्टी पर जाते और लौटते समय विशिष्ट पारगमन स्थानों तक विशेष पारगमन छुट्टी का दिया जाना । यह सुविधा वर्ष में केवल एक बार तथा समान रूप से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से उपलब्ध है:-

1.पांगी में	वर्ष में 8 दिन
2.भरमौर में	15 दिसम्बर से 31 मार्च तक 4 दिन
3.लाहौल में	15 दिसम्बर से 15 जून तक 3 दिन
4.स्पिति में	15 दिसम्बर से 30 अप्रैल तक 4 दिन अन्यथा केवल 3 दिन
5.किन्नौर में	शुन्य
3. गैर स्थानीय तथा गैर स्थानीय केडर के कर्मचारियों को अधिक ठहराव भत्ता निम्न दरों पर दिया जाता है :

चौथे वर्ष	मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम सीमा 50 रु0)
पांचवे वर्ष	मूल वेतन का 17.5 प्रतिशत यथोपरि
छठे वर्ष	मूल वेतन का 25 प्रतिशत यथोपरि
सातवें वर्ष तथा उसके बाद	मूल वेतन का 35 प्रतिशत अधिकतम 500/- रूपये प्रतिमाह
- 4) आयुक्त-एवं सचिव (जन-जातीय विकास) द्वारा आवासीय आयुक्त/उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में विशेष विशिष्ट इन्द्राज करना। जन-जातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों, उप वन अरण्यपालों तथा अधिशासी अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय

रिपोर्ट आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लिखा जाना।

- 5) जन-जातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों/उप वन अरण्यपालों/अधिशासी अभियन्ताओं को 15 दिन तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां आवासीय आयुक्त/उपायुक्तों/ अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त हैं। ऐसा निर्णय राज्य सरकार द्वारा इकहरी प्रशासनिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु लिया गया है।
- 6) उप-योजना/परियोजना क्षेत्र का मूल्यांकन तथा
- 7) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने इन क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य भत्ता स्वीकृत किया है जो शायद भारत में अधिकतम है। पैरामैडीकल स्टाफ के चयन हेतु स्टाफ नर्स तथा फीमेल हेल्थ वर्कर का चयन परियोजना स्तर तक प्रत्यायोजित किया गया है ताकि प्रशिक्षणोपरान्त उनकी नियुक्ति संस्थाओं में की जा सकें।

स्पिति तथा पांगी के लिए अलग कल्याण समितियां गठित हैं तथा वहां तहसील कल्याण अधिकारी को आहरण-संवितरण अधिकारी की शक्तियां सौंपी गई हैं।

हैलिकॉप्टर सेवा:

प्रथम बार राज्य कर्मचारियों और स्थानीय जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1981-82 में चण्डीगढ़ और केलांग के मध्य हैलिकॉप्टर सेवा का सूत्रपात किया गया था। वर्ष 1982-83 में यह सेवा किलाड़ के लिए भी उपलब्ध करवा दी गई। वर्ष 1986-87 में उदयपुर को भी इस सेवा के लिए शामिल किया गया। इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों की अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्तिंगरी, उदयपुर, रावा तथा किलाड़ के लिए सप्ताह में एक उड़ान तथा अजोग, तिन्दी, बारिंग, टिंगरिट, जिस्पा व सीसू के लिए पाक्षिक उड़ान भरने का निर्णय लिया है। इसके इलावा शेष जन-जातीय क्षेत्रों के दूर-दराज इलाकों में रह रहे स्थानीय लोगों व सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए भी सड़क परिवहन सुविधा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधा आने पर तथा उनकी मांग पर शिमला से पूह, ताबो, काजा, कल्पा, भरमौर, इत्यादि स्थानों के लिए भी शीतकालीन हैलिकॉप्टर उड़ानें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 2007 से अप्रैल 2007 तक इन क्षेत्रों के लिए शीतकालीन हैलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाई गई।

इस प्रकार पूर्व वृत्तान्त से स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का व्यापक विकेन्द्रीकरण किया गया है और कार्मिक नीति का ध्येय वहां नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ोतरी और इस क्षेत्र में सहर्ष नियुक्ति को बढ़ावा देना है।

महाराष्ट्र पद्धति:

वर्ष 1996-97 से हिमाचल प्रदेश में जन-जातीय उप-योजना का प्रारूपीकरण महाराष्ट्र पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है। इस पद्धति के तहत राज्य योजना विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कुल योजना आकार का 9 प्रतिशत भाग सीधे जन-जातीय विकास विभाग को आवंटित करता है। जन-जातीय विकास विभाग अपने स्तर पर विभाज्य परिव्यय को परियोजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रमशः 30 प्रतिशत किन्नौर, 18 प्रतिशत लाहौल, 16 प्रतिशत स्पिति, 17 प्रतिशत पांगी तथा 19 प्रतिशत भरमौर परियोजना को आवंटित करके परियोजना क्षेत्र के लिए वार्षिक उप-योजना प्रारूपीकरण हेतु निर्देशन जारी करता है तथा परियोजना सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तर पर जन-जातीय उप-योजना तैयार की जाती है। इस पद्धति के अनुसार उप-योजना प्रणाली अपनाते से जहां एक तरफ स्थानीय आवश्यकता मूलक योजना बनती है वहीं दूसरी ओर वर्ष के दौरान अनावश्यक विचलन की आवश्यकता नहीं रहती है।

अध्याय-3

संरक्षात्मक एवं प्रतिशोषणात्मक उपाय

अनुसूचित जन-जाति समुदाय को हर प्रकार के शोषण से बचाना उप-योजना प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है क्योंकि अप्राधिकृत विकास संरक्षात्मक उपाय के अभाव में शोषणकर्ताओं को ही बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन भी राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि शोषण के निवारण और इससे जूझने के लिए अधिनियम बनाए जाएं और मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें और कड़ा बनाया जाए।

भूमि संकमण:

प्रदेश में निवास कर रही अनुसूचित जन-जातियों की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। अतः भूमि उनका मुख्य साधन है और वे इससे वंचित न हो इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा-3 (I) को संशोधित करके इसे और सुदृढ़ बनाया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 2003 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन के अनुसार अब कोई भी अनुसूचित जन-जाति व्यक्ति अपनी भूमि किसी गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के नाम न ही विक्रय द्वारा और न ही रहन द्वारा तथा न ही पट्टे पर और न ही हिब्बा द्वारा और न ही किसी प्रकार से ज़मीन हस्तान्तरित कर सकता है जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए हि0प्र0 सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा प्राप्त न की हो। राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों से समुचित स्तर पर परामर्श करेगी।

रहनकर्ता के पक्ष में हिमाचल प्रदेश रैस्टीच्यूशन ऑफ मोरटगेजड लैंड एलियोनेशन ऑर एडोपशन अण्डर कस्टम एक्ट, 1976 के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण को चुनौती देने पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जद्दी जायदाद के हस्तांतरण या ऐसी जायदाद का वारिस नियुक्त करने पर आपत्ति नहीं उठा सकता है जब तक कि वह लक्कड़दादा से सीधे पुरुष वर्ग में वंशज न हो। आगे धारा 5 के तहत गैर-जद्दी जायदाद के बारे में हस्तान्तरण अथवा वारिस की नियुक्ति को रिवाज के खिलाफ चुनौती देने का किसी को भी हक नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग और लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 के अन्तर्गत भी जन-जातीय क्षेत्रों के साथ लिहाज किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 (I)सी के अन्तर्गत अनुमत: क्षेत्र की सीमा जन-जातीय क्षेत्रों के लिए 70 एकड़ है। फालतू ज़मीन के आवंटन में भी भूमिहीनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्राथमिकता दी जाती है।

सहकारी तथा ऋण राहत:

राज्य में सहकारी को हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ मनीलैंडर्ज एक्ट, 1976 के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है जिसके अधीन प्रत्येक साहुकार को पंजीकृत होना अनिवार्य है और उस द्वारा साहुकारी करने के लिए लाईसेंस लेना भी आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपना ऋण बसूल करने के लिए किसी प्रकार का मुक्कदमा अथवा आवेदन नहीं कर सकते हैं।

असामान्य सूदखोरी हिमाचल प्रदेश डैट रिडक्शन एक्ट, 1976 के अन्तर्गत नियन्त्रित ऋण में सूद की दर 6 प्रतिशत से अधिक वार्षिक नहीं हो सकती और असुरक्षित ऋण में यह सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है।

हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडैटिडनेस एक्ट, 1976 के अधीन भी कुछ श्रेणियों के किसानों/भूमिहीन कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण में राहत दी गई है।

बन्धुआ मजदूरी:

अनुसूचित क्षेत्र में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा विद्यमान नहीं है फिर भी हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडैटिडनेस एक्ट, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत हर प्रकार की बन्धुआ मजदूरी गैर-कानूनी घोषित की गई है। इस सम्बन्ध में कोई रीति रिवाज अथवा समझौता अब मान्य नहीं होगा।

काश्तकार एवं भू-सुधार अधिनियम:

हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ एक्ट, 1972 के अन्तर्गत सभी प्रकार की पट्टेदार, किन्ही कानूनी मजबूरियों को छोड़कर समाप्त कर दी गई है और ऐसा पट्टेदार अपने आप मालिक करार दे दिया जाता है। बटाईदारी की प्रथा इन क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है।

आवकारी नीति:

अनुसूचित क्षेत्र अल्पाईन क्षेत्र में स्थित है जहां शीतकाल दीर्घकालीन होता है और जलवायु असहनीय है। मनोरजन के साधन सीमित हैं। मनोरम पेय के अतिरिक्त युग-युगान्तर से शराब उनके सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग है। राज्यीय आवकारी नीति के अधीन जन-जातीय क्षेत्रों को छूट दी गई है और वर्ष 1992-93 से आवकारी नीति निम्न प्रकार से है:-

- 1) घरेलू प्रयोग के लिए, खास मौकों पर प्रयोग के लिए देसी खमीरी शराब बनाने के लिए एल-20-डी लाईसेंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसेंस 5 रुपये वार्षिक फीस पर दिए जाते हैं। ऐसी शराब की एक वक्त में 750 मि.लि. की अधिकतम 24 बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। ये लाईसेंस कलेक्टर अथवा आवकारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं।
- 2) फल अथवा अनाज की घरेलू प्रयोग के लिए देसी शराब कशीद करने के लिए एल-20-सीसी लाईसेंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसेंस भरमौर के सिवाए अन्य सभी जन-जातीय क्षेत्रों को जारी किए जाते हैं जिनकी सालाना फीस 25/- रुपये है परन्तु पांगी क्षेत्र में ये लाईसेंस निशुल्क जारी किए जाते हैं। ऐसी शराब की भी अधिकतम 24 बोतलें ही एक समय में रखी जा सकती हैं। ये लाईसेंस कोलेक्टर द्वारा जारी किए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अति सीमित मात्रा में आम ठेकों की भी मंजूरी दी गई है: ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि जन-जातियों के अतिरिक्त 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में अन्य वर्ग से सम्बन्ध रखती है जिन्हें शराब निकालने की मनाही है। देसी व विदेशी पर्यटकों की सुविधार्थ भी ऐसा करना अपेक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र के पक्ष में नशाबन्दी में ढील दी गई है परन्तु इस कारण जन-जातियों का कोई शोषण नहीं हो रहा है जैसा कि स्थिति अन्यत्र हो सकती है। जनहित में इस संदर्भ में स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है।

अध्याय-4

अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति

संविधान के प्रावधान में ही सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का अश्वासन दिया गया है। जबकि अनुच्छेद-31(I) में राज्य की सभी श्रेणियों के कल्याण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। अनुसूचित जन-जाति समुदाय अपने आप में एक श्रेणी होने के नाते अनुच्छेद-46 ऐसे समुदाय के लिए आर्थिक संरक्षण हेतु विशेष वार्ताओं की सिफारिश करता है। इस संदर्भ में प्रथमतः प्रयास 1955 में विशेष बहुउद्देशीय जन-जातीय विकास खण्डों के रूप में किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जन-जातीय विकास खण्डों का सूत्रपात किया गया जो उपरोक्त वर्णित प्रणाली का संशोधित रूप था। इस कार्यक्रम को तीसरी पंच-वर्षीय योजना में विस्तृत किया गया। इसके अन्तर्गत ऐसे सामुदायिक विकास खण्ड भी लिए गए जहां अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 2/3 या इससे अधिक थी। चौथी पंच-वर्षीय योजनावधि में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन-जाति बहुलता वाले क्षेत्र ऐसी पद्धति के अन्तर्गत लाने का ध्येय था परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। इस दिशा में सकल प्रयास का मूल्यांकन समय-समय पर गठित अध्ययन दलों द्वारा किया गया तथा जिनके परिणामों से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि इन जन-जातियों को सामान्य प्रयासों के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं और ये जातियां पूर्ववत् सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी बनी हुई हैं जिसका मुख्य कारण ऐतिहासिक व इन श्रेणियों का अन्य जातियों के समरूप लाभ उठा पाने में असमर्थता है। ऐसी असमानता को दूर करने के लिए आयोजित प्रयास की आवश्यकता थी तथा जन-जातीय क्षेत्रों के तेज सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जन-जातीय उप-योजना प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस नीति के मुख्य पहलू निम्न प्रकार थे।

- क) राज्यों में ऐसे सामुदायिक विकास खण्डों का चिह्नित करना जहां अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या की बहुलता थी तथा इनका एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में गठित करना ताकि वहां क्षेत्र पर आधारित समन्वित विकास गतिविधियां अपनाई जा सकें।
- ख) जन-जातीय उप-योजना के लिए राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों से प्रावधान आरक्षित करना : तथा
- ग) जन-जातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तथा उपयुक्त कार्मिक नीति का सूत्रपात करना।

प्रदेश में समूचे किन्नौर तथा लाहौत-स्पति जिले तथा चम्बा जिला की पांगी तथा भरमौर तहसीलें अनुसूचित जन-जाति बहुलता वाले क्षेत्र पाए गए तथा जन-जातीय उप-योजना के अधीन वर्ष 1974-75 से लिए गए।

मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत उप-योजनाएं:

जन-जातीय उप-योजना इस प्रदेश के लिए कोई नया विषय नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सात सामुदायिक विकास तथा जन-जातीय खण्ड भी तसब्बर होते रहे तथा प्रदेश में किन्नौर व लाहौत रिपति जिले सीमा क्षेत्र माने जाते रहे और इन क्षेत्रों के लिए सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना परिव्यय अलग से सुरक्षित रखे जाते थे। इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता भी 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध होती थी। इस प्रकार उप-योजना के बीज पहले ही प्रदेश में अंकुरित हो रहे थे और जन-जातीय उप-योजना प्रणाली के अपनाए जाने के फलस्वरूप इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। उप-योजना के अधीन अधिक क्षेत्र लाए गए और राज्य प्रयास को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त राशि से बढ़ावा मिला।

पांचवी पंचवर्षीय योजना:

मूल पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) (16 करोड़ रुपये) राज्य योजना से 12.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता 3.19 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई थी परन्तु पांचवी योजना निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी तथा इस प्रकार 10.94 करोड़ रुपये राज्य योजना, 9.05 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.89 करोड़ रुपये, अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले वास्तविक व्यय 9.12 करोड़ रुपये, राज्य योजना 7.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.31 करोड़ रुपये रहा तथा व्यय 83 प्रतिशत रहा। यह मात्रा छठी पंचवर्षीय योजना की पूर्व संध्या पर 98 प्रतिशत हो गई।

छठी पंचवर्षीय योजना:

छठी योजना में संशोधित क्षेत्रीय विकास पद्धति जिसके अन्तर्गत जन-जातीय कोष्ठ चिन्हांकित किए जाने अपेक्षित थे को और अधिक अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या उप-योजना प्रणाली के अधीन लाई गई। इस प्रदेश में वर्ष 1981-82 में ऐसे 2 कोष्ठ चिन्हांकित किए गए जिससे प्रदेश में उप-योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या 63 प्रतिशत हो गई।

जन-जातीय क्षेत्रों में 3.13 प्रतिशत आबादी केन्द्रित होने के मुकाबले पांचवी योजनावधि में राज्य योजना से प्रवाह 5.56 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 1974-78 में 5.75 प्रतिशत अंकित की गई। इस पृष्ठभूमि में छठी योजना के लिए राज्य योजना से प्रवाह की मात्रा 8.48 प्रतिशत लक्षित की गई और वास्तविक उपलब्धि 8.62 प्रतिशत रही। वर्ष 1984-85 में यह मात्रा 8.92 प्रतिशत थी यहां यह वर्णनीय है कि सामान्य योजना मदों के मुकाबले उप-योजना में वृद्धिदर अधिक रही जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप-योजना का प्रवाह	कॉलम 3 की 2 से प्रतिशत	प्रतिशत बढ़ोतरी	
				राज्य योजना	जन-जातीय उप-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. पंच-वर्षीय योजना (1974-78)	15,743.00	904.81	5.75	155.26	—
2. छठी योजना (1980-85) लक्षित	56,000.00	4,747.40	8.48	255.71	424.68
3. यथोपरि वास्तविक	62,833.56	5,415.31	8.62	12.20	14.07

सातवीं पंच वर्षीय योजना:-

सातवीं पंच वर्षीय योजना से मुख्य रूप से यह अपेक्षा थी कि पिछले निवेश के लाभों को समेकित किया जाये तथा देश विकास के पथ पर इस प्रकार अग्रसर हो ताकि सामाजिक न्याय, समाज कल्याण और सामाजिक खपत में बढ़ोतरी हो सके ।

सातवीं योजनावधि के लिए राज्य योजना से प्रवाह 9 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 8.78 प्रतिशत रही :-

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप-योजना को प्रवाह	कॉलम 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ोतरी	
				राज्य योजना	जन-जातीय उप-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7वीं योजना (1985-90) लक्षित	1,05,000.00	9,450.00	9.00	67.11	74.51
वास्तविक	1,15,919.00	10,179.24	8.78	84.49	87.97

आठवीं पंचवर्षीय योजना:

जन-जातीय उप-योजना प्रणाली जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अपनाई गई है अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके अन्तर्गत योजनाकारों एवं कार्यन्विकों का ध्यान अनुसूचित जन-जाति समाज एवं क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों की ओर आकृष्ट हुआ है जिस कारण इनके समन्वित विकास की पद्धति अपनाई गई। वर्तमान व्यवस्था को आठवीं योजनावधि में भी जारी रखा गया तथा इस दौरान उप-योजना के लिए यथार्थ धनराशि निर्धारित की गई ।

पूर्व में आठवीं योजनावधि वर्ष 1990-91 से प्रारम्भ होनी थी परन्तु इसे वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 1990-91 में राज्य योजना से जन-जातीय उप-योजना को प्रवाह 8.95 प्रतिशत अंकित किया गया तथा वर्ष 1991-92 के लिए यह 9 प्रतिशत किया गया।

वर्ष 1990-91 से 1991-92 में राज्य योजना एवं जन-जातीय उप-योजना की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :-

(लाख रू०)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	जन-जातीय उप-योजना का प्रवाह	कॉलम 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ोतरी	
				राज्य योजना	जन-जातीय उप-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.
वर्षिक योजना 1990-91	36,200.00	3,240.00	8.95	39.23	38.97
वार्षिक योजना 1991-92	40,650.00	3,658.50	9.00	12.29	12.92
आठवीं पंचवर्षीय योजना					
8वीं योजना (1992-97) लक्षित	2,50,200.00	22,518.00	9.00	138.29	138.29
वास्तविक	3,34,050.00	30,050.00	9.00	188.17	195.22

नवीं पंचवर्षीय योजना:

नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना का प्रवाह 8.90 प्रतिशत रहा। नवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप-योजना को प्रवाह	कॉलम 3 की 2 से प्रतिशत	प्रतिशत बढ़ोतरी	
				राज्य योजना	जन-जातीय उप-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9वीं योजना (1997-2002) लक्षित	7,15,000.00	53,140.00	7.43	185.77	136.00
वास्तविक	7,70,536.70	68,570.15	8.90	130.67	128.00

दसवीं पंचवर्षीय योजना:

दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2002-2003 से 2006-2007 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना का प्रवाह 8.96 प्रतिशत रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप-योजना को प्रवाह	कॉलम 3 की 2 से प्रतिशत	प्रतिशत बढ़ोतरी	
				राज्य योजना	जन-जातीय उप-योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10वीं योजना (2002-2007) लक्षित	10,75,000.00	85,635.00	7.97	50.35	61.15
वास्तविक	8,03,500.00	72,025.29	8.96	4.28	5.04

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए क्षेत्रवार वास्तविक व्यय विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्षेत्रवार वास्तविक व्यय विवरण

(लाख रु०)

क्षेत्र	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1.	2.	3.

2002-03 वास्तविक व्यय

क) आर्थिक सेवाएं	7827.02	379.91
ख) सामाजिक सेवाएं	5804.93	165.88

ग) सामान्य सेवाएं	888.13	97.74
घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1097.85	—
योग	15617.93	643.53
2003—04 वास्तविक व्यय		
क) आर्थिक सेवाएं	5961.94	535.06
ख) सामाजिक सेवाएं	3382.51	91.47
ग) सामान्य सेवाएं	802.55	15.00
घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	416.00	—
योग	10653.00	641.53
2004—05 वास्तविक व्यय		
क) आर्थिक सेवाएं	6425.31	478.27
ख) सामाजिक सेवाएं	3494.43	114.46
ग) सामान्य सेवाएं	752.06	22.26
घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	982.00	—
योग	11653.80	614.99
2005—06 वास्तविक व्यय		
क) आर्थिक सेवाएं	7552.16	717.62
ख) सामाजिक सेवाएं	4701.97	76.45
ग) सामान्य सेवाएं	880.88	3.43
घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	642.05	—
योग	13777.05	797.50
2006—07 वास्तविक व्यय		
क) आर्थिक सेवाएं	7869.65	1009.70
ख) सामाजिक सेवाएं	7034.17	153.94
ग) सामान्य सेवाएं	1027.96	11.77
घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1269.00	—
योग	17200.78	1175.41

उच्चतर प्राथमिकता 'आर्थिक सेवा' क्षेत्र को दी गई हैं। उप-क्षेत्रों में 'कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं' को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2006—07 के भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार से है:—

जन-जातीय उप-योजना भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तिर्यौ

मद्द	इकाई	वर्ष 2006-07 वास्तविक उपलब्धियाँ
1.	2.	3.

कृषि उत्पाद:

1. खाद्यान:

उत्पाद 000एमटी. 12.60

2. आलू:

उत्पाद 000एमटी 25.70

3. सब्जियां:

उत्पाद 000एमटी 40.66

4. अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्रफल

गेहुं 000है. 1.85

मक्की 000है. 0.69

5. उर्वरक का वितरण:

एन. एमटी 413

पी. एमटी 217

के. एमटी 187

योग:- — **817**

6. कृषि औजारों की संख्या वितरण: संख्या 7900

7. भू-नमूनों का विश्लेषण हैक्टयर 7030

9.1. भू-संरक्षण:

कृषि विभाग द्वारा हैक्टयर 116

2. उद्यान (उत्पाद):

1. फलदार पौधों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र हैक्टयर 856

2. पौध संरक्षण के अधीन कुल क्षेत्र हैक्टयर 11400

3. हॉप्स विकास:

हॉप्स उत्पाद एमटी 40

हॉप्स के अधीन क्षेत्र फल हैक्टयर 73

4. मत्स्य पालन:

टाउट ओवा उत्पादन सं0 लाखों में 1.03

मछली उत्पादकों को सहायतानुदान सं0 73

5. वन:

1. वाणिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र हैक्टयर 75

2. अन्य वाणिकीकरण/सांझी वन योजना के अन्तर्गत हैक्टयर 108

क्षेत्र

6. सहकारिता:

अल्प एवं माध्यमिक अवधि के ऋण	लाख रू0	64.57
उपभोक्ता वस्तु वितरण	लाख रू0	1351.92

7. ग्रामीण विकास:

क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना:

कार्य दिवस सृजन	सं0 लाख में	3.38
ख) इन्दिरा आवास योजना/राजीव गांधी योजना	सं0	339

8. लघु सिंचाई:

हैक्टर 436

9. सड़क एवं पुल:

मोटर योग्य सड़क	कि.मी.	99
जीप योग्य सड़क	कि.मी.	14
कॉस नालियां	कि.मी.	68
सड़कों का पक्का करना	कि.मी.	37
पुल निर्माण	सं0	3
गांव को सम्पर्क सड़क से जोड़ना	सं0	3

10. शिक्षा:

1. प्रारम्भिक शिक्षा:

क) पहली से पांचवी श्रेणी में दाखिला:

छात्र	नं0	9101
छात्राएं	नं0	8617

ख) छठी से आठवीं तक दाखिला:

छात्र	नं0	5102
छात्राएं	नं0	5089

2. उच्च शिक्षा

क) नौवीं से दसवीं तक दाखिला:

छात्र	नं0	2460
छात्राएं	नं0	2425

ख) 10+1 से 10+2 तक दाखिला

छात्र	नं0	1505
छात्राएं	नं0	1326

11. जलापूर्ति

लाभान्वित परिवार	संख्या	204
------------------	--------	-----

12. अनु.जाति/अनु.जन-जाति/अन्य पिछड़ी जाति

कल्याण:

गृह अनुदान संख्या 581

13. लोक निर्माण:

आवासीय भवन निर्माण संख्या 16

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे प्रदेश में अनुसूचित जन-जाति परिवारों की संख्या 19,105 अंकित की गई थी (1997-98 सर्वेक्षण) जोकि सकल प्रदेश में ऐसे परिवारों का 6.67 प्रतिशत बनता है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का सूत्र-11 (ख) अनुसूचित जन-जाति उत्थान को समर्पित है। सातवीं योजनावधि से लेकर वर्ष 2006-07 तक गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने सम्बन्धि प्रयासों का व्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

सूत्र-11 (ख) के अधीन लक्ष्य एवं प्राप्तियां

अवधि	लक्ष्य	प्राप्तियां
1.	2.	3.
1997-98	4,200	5,329
1998-99	4,250	4,815
1999-2000	4300	7475
2000-01	4350	6883
2001-02	4500	8459
2002-03	4600	4888
2003-04	4600	4743
2004-05	4600	8681
2005-06	4700	6058
2006-07	6800	11197

जन-जातीय विकास विभाग द्वारा वर्ष के आरम्भ में ही जन-जातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर सूत्र -11(ख) के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों को वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को आबंटित किया जाता है। सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति की सूचना ग्रामीण विकास विभाग तथा जन-जातीय विकास विभाग, हि0प्र0 को मासिक आधार पर प्रेषित की जाती है और प्रदेश की समेकित प्रगति सूचना से भारत सरकार को अवगत करवाया जाता है।

अध्याय—5

जन—जातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास

हिमाचल प्रदेश में जन—जातीय क्षेत्र की कुल जन संख्या पूर्णतया ग्रामीण है लेकिन नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के अन्तर्गत रिकांगपिओ, केलांग, काजा, भरमौर, और किलाड़ को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है, जिससे इन्हें शहरी क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त हो गया है और साथ में वे ग्रामीण क्षेत्र भी बने रहेंगे। प्रदेश के जन—जातीय क्षेत्रों को जन—जातीय उप—योजना के अन्तर्गत लाया गया है ताकि नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में जन—जातीय उप—योजना को अपनाए 29 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा कुछेक प्रयुक्त विभागों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

1. कृषि:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से लगभग 20,971 हैक्टेयर भूमि ही विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लाई गई है। औसत जोताकार 0.94 से 1.89 हैक्टेयर के बीच है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें गेहूं, मक्की, जौ, केसर, आलू, गोभी, राजमाह व मटर हैं। जिनमें से आलू, मटर, गोभी, केसर व सफरन प्रमुख नकदी फसलें हैं। किसानों के आर्थिक विकास तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने में विभिन्न बीज/उपकरणों का उपयोग किया गया। उक्त कार्य के लिए वर्ष 2006—2007 में 242.29 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

2. बागवानी:

जन—जातीय क्षेत्रों की जलवायु सूखे फलों के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। इन क्षेत्रों में लगभग 15297 हैक्टेयर भूमि को विभिन्न फलों की खेती के अधीन लाया गया है। वर्ष 2006—07 के दौरान 41710 टन विभिन्न फलों का उत्पादन हुआ है। फलों से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को प्रति हैक्टेयर आय बहुत अधिक है। हॉप्स की खेती के लिए प्रदेश के जन—जातीय क्षेत्र बहुत मशहूर हैं। वर्ष 2006—2007 में अनुसूचित क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़ाने व प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए 420.35 लाख रुपये विभिन्न कार्यों पर व्यय किए गए हैं।

3. पशु पालन:

प्रदेश के किसानों की भान्ति जन—जातीय क्षेत्रों में भी कृषि के साथ—साथ पशु पालन किसानों के मुख्य व्यवसायों में से एक है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में 45 पशु चिकित्सालय, 122 पशु औषधालय, 2 चल पशु औषधालय, 1 भेड़ प्रजनन केन्द्र, 5 भेड़ व उन विस्तार केंद्र, 2 कुक्कट प्रसार केन्द्र तथा 1 घोड़ा प्रजनन केन्द्र स्थापित हैं जिनके द्वारा जन—जातीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त विभिन्न बीमारियों के टीके लगाए गए तथा नकारा नर पशुओं का वाधियाकरण किया गया ताकि अच्छी नसल की भेड़, गाय व साण्ड उपलब्ध हों। वर्ष 2006—2007 में इन कार्यों के लिए 321.54 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

4. वन:

जन-जातीय क्षेत्रों का अधिकतर भाग विशेषकर लाहौल-स्पिति, पांगी तथा किन्नौर का कुछ क्षेत्र मौनसून जोन से बाहर रह जाता है तथा इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। 80 प्रतिशत क्षेत्रफल या तो बारानी या पत्थरीली भूमि या फिर बर्फ से ढका रहता है जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र जंगल उगाने के योग्य नहीं है। राज्य सरकार का वन विभाग जन-जातीय समुदायों को सरकारी भूमि पर भी जंगल उगाने में प्रोत्साहित करता है तथा उगाये गए पौधों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में पूरा हक प्रदान करता है ताकि इन क्षेत्रों में भी हरियाली लाई जा सके। स्थानीय समुदायों की ईंधन इत्यादि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वन विभाग का मुख्य कार्यक्रम शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों का रोपण, आर्थिक महत्ता की किस्मों का रोपण, चरागाहों का सुधार तथा सामाजिक वानिकी है तथा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 6,586.47 हैक्टेयर भूमि को लाया गया। वर्ष 2006-2007 में 629.24 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

5. सहकारिता:

सहकारिता आन्दोलन जन-जातीय क्षेत्रों में लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि उपज एवं वानिकी उपज के विपणन तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस आन्दोलन की मुख्य उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक संख्या	मद्द	वर्ष 2006-2007 की वास्तविक उपलब्धियां
1.	2.	3.
1.	कुल सहकारी सभाओं की संख्या	213
2.	इनमें से साख सहकारिताएं	107
3.	अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों का वितरण (राशि लाख रू0)	64.57
4.	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (रू0 लाख में)	1351.92

सहकारिता क्षेत्र के कार्यकलापों को अधिक से अधिक मात्रा में पनपने के उद्देश्य से विभाग सभी प्रकार की सहकारी सभाओं को अनुदान, राज्य पूंजी निवेश तथा ऋण के रूप में सहायता राशि देता चला आ रहा है। वर्ष 2006-07 में 25.33 लाख रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत तथा 54.01 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय किए गए हैं।

6. लघु सिंचाई:

प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में 10858 हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अधीन है जो कि कुल फसलों के अधीन भूमि का 38.00 प्रतिशत है जबकि राज्य में केवल 22 प्रतिशत फसलाधीन क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत है। वर्ष 2006-2007 में 436 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत लाने पर मु0 1605.11 लाख रू0 व्यय किए गए हैं।

7. विद्युत:

जन-जातीय क्षेत्रों में सभी गावों को विद्युतकृत किया गया है।

8. ग्राम एवं लघु उद्योग:

समूचा प्रदेश उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। प्रदेश में जन-जातीय क्षेत्रों का दूर-दराज क्षेत्रों में केन्द्रीत होना, पर्याप्त एवं सभी मौसमों में यातायात का अभाव तथा इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बिखरापन उद्योग के लिए पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। उक्त परिस्थितियों के बावजूद भी जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थान पर एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है और ऐसा ही एक औद्योगिक क्षेत्र लाहौल-स्पिति जिला के केलांग स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। जिला किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है तथा पांगी भरमौर क्षेत्र जिला उद्योग केन्द्र चम्बा के अधीन आते हैं। इन क्षेत्रों में 647 औद्योगिक ईकाइयां पंजीकृत हैं। वर्ष 2006-2007 में इन पर 154.61 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

9. सड़कें एवं पुल:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सड़कों और पुलों का विशेष महत्व है। जन-जातीय क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 में 3694.04 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

10. खाद्य एवं आपूर्ति:

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं समय पर उचित मात्रा में तथा उचित दर पर उपलब्ध करवाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री दर पर विभाग जन-जातीय क्षेत्रों में गंदम, नमक, मिट्टी का तेल अनुदानित दरों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रहा है। विभाग इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने हेतु अग्रिम मांग अनुसार आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण करता है ताकि उपभोक्ताओं को सर्दियों में आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े। आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी विभाग द्वारा मास अक्टूबर/ नवम्बर में उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से बर्फ पड़ने से पहले-पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2006-2007 के दौरान जन जातीय क्षेत्रों में कार्यरत 17 थोक बिक्री केन्द्रों, 9 परचून दुकानों, 9 गैस एजेन्सियों, 2 पेट्रोल पम्प व एक कैरोसीन डिपो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का अग्रिम भण्डारण करके वितरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वस्तु का नाम	इकाई	खाद्यानों का भण्डारण किया गया	वितरण
1.	2.	3.	
गन्दम,	किव.	52541	33918
गन्दम आटा	किव.	38841	30658
चावल	किव.	76991	65074
लेवी चीनी,	किव.	2893	2049
मिट्टी का तेल	किलो लीटर	19143	15456

उक्त मदों पर वर्ष 2006-2007 में 9.01 लाख रु० व्यय किए गए हैं।

11. स्वास्थ्य विभाग:

जन-जातीय क्षेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्धि में सुखद स्थिति में है। इन क्षेत्रों में 2 जिला हस्पताल, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण हस्पताल तथा 5 सिविल डिस्पेंसरियां स्थापित हैं। चिकित्सा संस्थानों में 476 बिस्तरे उपलब्ध हैं। मनुष्यों के उपचार सम्बन्धी चिकित्सा संस्थान प्रति लाख जनसंख्या के पीछे जन-जातीय क्षेत्रों में 143 हैं जबकि राज्य में औसतन 29 हैं। वर्ष 2006-2007 में इन मदों के अन्तर्गत 1102.70 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

12. आयुर्वेद विभाग:

इन क्षेत्रों में 3 आयुर्वेदिक हस्पताल तथा 85 डिस्पेंसरियां खोली हैं। इन हस्पतालों में लगभग 59 बिस्तरे उपलब्ध हैं। वर्ष 2006-2007 में इस विभाग द्वारा 365.87 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

13. शिक्षा विभाग:

जन-जातीय क्षेत्रों में 581 प्राईमरी ईकाइयां, 108 माध्यमिक ईकाइयां, 51 हाई स्कूल, 42 सीनियर सैकेंडरी स्कूल, 2 नवोदय स्कूल, 1 केंद्रीय विद्यालय तथा 3 राजकीय डिग्री कालेज कार्यरत हैं।

14. तकनीकी शिक्षा:

तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत ईकाइयां जन-जातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं:-

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकॉगपिओ
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरमौर
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
4. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकॉगपिओ

इसके ईलावा जन-जातीय क्षेत्रों के छात्र प्रदेश के दूसरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। वर्ष 2006-2007 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश हेतु प्रदेश भर में 198 सीटें (स्थान) आरक्षित थीं।

15. पेयजल:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। वर्ष 2006-2007 में इस कार्य के लिए 874.95 लाख रू० व्यय किए गए हैं। स्पष्ट है कि जन-जातीय क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जन-जातीय क्षेत्रों और प्रदेशके अन्य क्षेत्रों के बीच विकासात्मक खाई दिन-प्रति-दिन कम हो रही है।

अध्याय—6

कानून एवं व्यवस्था स्थिति

अनुसूचित क्षेत्र शोर—शराबे से दूर बीहड़ पहाड़ों के पीछे स्थित है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही धर्मपरायण, शान्तिप्रिय और सहिष्णु हैं जोकि उनके शान्त वातावरण के अनुरूप है। किन्नौर और लाहौल—स्पिति जिला की सीमा अन्तराष्ट्रीय सीमा तिब्बत से लगती है और इन 2 क्षेत्रों में विदेशियों के आने—जाने पर प्रतिबन्ध है। देशी पर्यटक भी कम ही इन क्षेत्रों में आते हैं क्योंकि आवागमन कठिन और दुविधाजनक है। अतः बाहरी प्रभाव नगण्य है।

फिर भी, अनुसूचित क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी हेतु 9 पुलिस स्टेशन, 13 पुलिस चौकियां तथा 16 निरीक्षण चौकियां स्थापित की गई हैं तथा 25 वायरलैस स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रबन्ध से लोगों के जान—माल की भी रक्षा बखूबी हो रही है।

अपराध स्थिति—2006—2007

मद्द	अनुसूचित क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश
1.	2.	3.
1.राज्य के प्रति एवं लोक शान्ति के प्रति अपराध:		
क) सूचित	25	570
ख) सिद्धदोषी	1	26
2. कतल:		
क) सूचित	5	119
ख) सिद्धदोषी	—	35
3. अन्य घोर अपराध:		
क) सूचित	53	2776
ख) सिद्धदोषी	—	232
4. डाका:		
क) सूचित	—	6
ख) सिद्धदोषी	—	—
5. पशु चोरी:		
क) सूचित	1	16
ख) सिद्धदोषी	—	6
6. जायदाद चोरी:		
क) सूचित	8	1898

ख) सिद्धदोषी	—	84
7. सामान्य चोरी:		
क) सूचित	18	904
ख) सिद्धदोषी	—	40
8. मकान घुसपैठ:		
क) सूचित	28	966
ख) सिद्धदोषी	—	26

अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अत्याचार निवारण:

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, दिनांक 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदेश में 8 जिला तथा सेशन अदालतें विशेष अदालतें घोषित की गई हैं तथा इन अदालतों से सम्बद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटरर्ज को धारा 15 के अधीन विशेष प्रोसिक्यूटरर्ज घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र शिमला, मण्डी तथा चम्बा की अदालतों के साथ संलगित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

अध्याय-7

विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप

क) चौ० सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय:

सरकार की नीति के अनुरूप जन-जातीय क्षेत्रों के लिए अलग से धनराशि आरक्षित की जा रही है ताकि क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जाए और इन पिछड़े क्षेत्रों की अंतःशक्ति का दोहन किया जा सके। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी इन क्षेत्रों की जलवायु के अनुरूप अलग प्रावधान कर रही है ताकि इन क्षेत्र वासियों को लाभान्वित किया जा सके।

जन-जातीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के चार अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं इन केन्द्रों की लीड एवं वैरिफिकेशन अनुसंधान क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:-

अनुसंधान केन्द्र का नाम	लीड कृत्य	वैरिफिकेशन कृत्य
1.	2.	3.
1. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कुकुमसेरी (लाहौल)	बेमौसमी सब्जियां	काठू, आलू, मटर, गंदम, जौ, हॉप्स इत्यादि।
2. अनुसंधान उप-केन्द्र साँगला (किनौर)	काला जीरा, केसर, याक प्रजनन	राजमाह, बकब्हीट, बेमौसमी दालों की नर्सरी।
3. अनुसंधान उप-केन्द्र लियो (किनौर)	मिल्लेट्स	राजमाह, सब्जियां।
4. अनुसंधान उप-केन्द्र लरी (स्पिति)	जौ, सब्जियां तथा मवेशियों का आहार।	आलू, सब्जियां।

इन केन्द्रों का इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अधीन दृढीकरण किया गया है। इन केन्द्रों में अनुसंधान हेतु जन-जातीय उप-योजना से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

इन केन्द्रों पर किए जा रहे अनुसंधान के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:-

1.केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुकुमसेरी:

केन्द्राधीन 7.5 हैक्टेयर कुल क्षेत्र में से अनुसंधानार्थ अभी तक 2.5 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है तथा विकसित क्षेत्र को सप्रिंकलिंग सिंचाई के तहत लाया गया है। इस अनुसंधान केन्द्र में निम्नलिखित अधिक उपजाऊ किस्मों के बीजों की परख के उपरान्त किसानों को बिजाई के लिए सिफारिश की गई:-

1. राजमाह के कचन (एचपी आर-35/बासपा-के आर सी-8) किस्म तथा बकब्हीट (काठू) के यू.एस.डी.ए.-1 किस्म।
2. मटर की आजाद पी-1 किस्म।
3. सर्द गेहुं के आट किस्म। इस किस्म को हरे चारे के लिए भी बिजाई करने हेतु सिफरिश की गई।
4. लाल तथा सफेद बलोवर्ज के पी. एल.पी.-कम्पोजिट तथा लुकेरने के आनन्द-3 और 3

5. हॉप्स के सफेद लटकलास्टर, हर्डवर्ड-2 हरमुख किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

II. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सांगला:

इस केन्द्र के अधीन 2.5 हैक्टेयर, क्षेत्रफल है तथा पूर्ण क्षेत्र सिंचाई के अधीन लाया गया है। इस अनुसंधान केन्द्र में अधिक पैदावार के लिए निम्नलिखित बीजों की पहचान की गई है:-

1. राजमाह के एस.आर.सी.-8, के. 198 का चुनाव
2. लुकारने आनन्द-3 किस्म।
3. पशु सुधार:- याक तथा जर्सी गाय के आपस में 'क्रॉस ब्रीडिंग' करके गाय तैयार की गई जो 6 लीटर तक दूध देती है।
4. मटर की एनेर्थकनौज बिमारी को काबू करने के लिए अनुकूल नियन्त्रण पग विकसित किए गए।
5. काला जीरा व केसर की किस्में किसानों को जारी की गई।

III. अनुसंधान उप-केन्द्र, लियो:-

उप केन्द्राधीन 7.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 2.5 हैक्टेयर की ही अनुसंधानार्थ विकसित किया गया है तथा विकसित क्षेत्र के लिए सप्रिंकलिंग सिंचाई उपलब्ध की गई है। इस अनुसंधान उप-केन्द्र में निम्नलिखित अधिक उपजाऊ वाले बीजों की पहचान की गई है:-

1. कांगनी के के. आ.सी.-9 किस्म।
2. रागी के वी.एल.-115 किस्म तथा
3. उमरेन्थस के वी. एच.सी.-7502 और आई. सी.-42255-5 किस्म
4. जौ कि डोलमा व एच.पी.एल.-233 किस्म
5. मटर की लिकन किस्म।

अनुसंधान उप केन्द्र लरी:

इस केन्द्र के अधीन 18.7 हैक्टेयर क्षेत्र में से अनुसंधानार्थ अभी तक केवल 9.5 हैक्टेयर क्षेत्र किया जा सका है जिसके लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस अनुसंधान उप-केन्द्र में निम्नलिखित अधिक उपजाऊ के बीजों की किस्मों की पहचान की गई है:-

1. सर्द गेहुं के एच.पी. डब्ल्यू (डी.एल.-30) किस्म
2. जौ के स्थानीय लरी किस्म।
3. लुकारने के आनन्द-2।

इसके अतिरिक्त इस अनुसंधान उप-केन्द्र में आलू, मटर तथा सब्जियों पर भी कार्य जारी किया हुआ है जिसमें प्रमुख बन्दगोभी की पराईज ऑफ इंडिया व गाजर की पी. आर. डब्ल्यू.टी. की किस्म है।

(ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन:

इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधानात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियां इसके क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र शरबो (किन्नौर) द्वारा चलाई जा रही है जिसके अधीन सब्जी अनुसंधान केन्द्र कल्पा, सब्जी अनुसंधान उप-केन्द्र रिब्बा तथा औद्योगिक उप-केन्द्र ताबो (स्पिति) आते हैं।

इन अनुसंधान केन्द्रों में बागवानी तथा सब्जी उत्पादकों के लिए बागवानी तथा सब्जी उत्पादन, संरक्षण तथा फसल कटाई उपरान्त तकनीकी के बारे आवश्यक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके नवीनतम तकनीकी का ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण शिवरों में नुमाईश, उद्यान दिवस तथा अन्य व्यवहारिक प्रदर्शन किए जाते हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम:

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र अपने कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें से कुछ एक का लुप्त होने का अन्देश है। इनमें जान फुंकने, इनको बढ़ावा देने और इनके विकास के लिए यह निगम अनुसूचित क्षेत्र में कई स्कीमें जारी किए हुए है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

1. प्रशिक्षकता स्कीमें:

इस स्कीम के अन्तर्गत निगम मनाली और ताबो में थांका पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रहा है जिसकी अवधि 6 वर्ष है। यह कला प्रायः लुप्त होती जा रही है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लड़के एवं लड़कियां इस व्यवसाय में भली भान्ति रोजी कमा रहे हैं।

2. प्रशिक्षण केन्द्र :

लोगों में दक्षता बढ़ाने के लिए निगम कई शिल्पों में प्रशिक्षण दे रहा है। इनमें मुख्य रूप से बुड कारविंग, बुड टरनिंग, गलीचा बुनाई, धातु शिल्प, बढई इत्यादि शामिल हैं। शिल्प प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से 6 वर्ष की है ताकि प्रशिक्षणार्थी सिद्धहस्त हो सके। इन्हें अपना काम चालू करने के लिए सहायता भी दी जाती है।

3.उत्पाद ईकाइयां :

कार्पोरेशन अपने उत्पादन केन्द्र लोगों को रोजगार हेतु चला रही है जिसमें हथकरघा वस्तुएँ, ऊनी कालीन, लकड़ी के बर्तन आदि तैयार किए जा रहे हैं।

4. प्रापन एवं उप-प्रापन स्कीमें :

इस स्कीम के अधीन बुनकरों/ कारीगरों को उत्तम औजार, उपकरण, कच्चा सामान, रूपांकन आदि उनके अपने घरों में नकद या किशतों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो सामान वे तैयार करते हैं उसे निगम क्रय करता है। एक कारीगर औसतन 50 से 100 रुपये प्रतिदिन कमा लेता है।

5. विपणन :

कारीगरों/बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निगम उन द्वारा तैयार किया गया माल अथवा कनसाईनमेंट आधार पर क्रय करता है जिस के लिए निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में ईमपोरियम तथा विक्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

6.संगठनात्मक ढांचा :

जिला किन्नौर और स्पति मण्डल में निगम की गतिविधियां किन्नौर में रिकांगपिओ के स्थान पर स्थित हस्तशिल्प अधिकारी द्वारा संचालित की जाती है। लाहौल मण्डल में ऐसा करने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त है। चम्बा जिला में भी एक हस्तशिल्प अधिकारी विद्यमान है। निगम की विभिन्न ईकाइयों को सुचारू रूप में चलाने के लिए अपेक्षित तकनीकी, पर्यवेक्षी एवं सहायक स्टाफ नियुक्त है।

निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न ईकाइयों का ब्योरा इस प्रकार है:—

1. जिला किन्नौर :

1. हिमाचल इम्पोरियम, रिकांगपिओ।
2. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, रिकांगपिओ।
3. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, हांगो।
4. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, चांसू।
5. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, आसरंग।
6. कच्चा माल वितरण/प्रापन डिपो तथा हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, कल्या।
7. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, निचार।
8. गजीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, रिकांग पिओ।
9. किन्नौरी शाल बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र सुगंरा, भावानगर, जंगी तथा पांगी।

2. जिला लाहौल व स्पति :

1. हिमाचल इम्पोरियम, केलांग।
2. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, काजा।
3. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, ताबो।
4. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, मनाली (कुल्लू)।
5. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, डंखर।
6. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, मालिंग।
7. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, रंगियो—बारियो।
8. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, हिल्लौर।
9. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, लोसर।
10. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, गुलिंगर।

3. जिला चम्बा :

1. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, लाम्बू भरमौर।

2. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, हडसर भरमौर।
3. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, करयास पांगी।

उपरोक्त उत्पादन केन्द्रों में बुनकरों तथा दस्तकारों को रोजगार दिया जा रहा है तथा इस समय 245 व्यक्तियों को इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड:

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के निवासियों के उत्थान हेतु व उन्हें सार्वजनिक सुविधान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की सहायता के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं:-

1. कार्डिंग प्लांट
2. बिक्री केन्द्र
3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर0ई0जी0पी0)

1. कार्डिंग प्लांट :

बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों में 13 कार्डिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं जोकि रिकांग पिओ, पूह, भावानगर, कटगांव, सांगला, स्कीबा, चोलिंग, केलांग, उदयपुर, काजा, किलाड़, होली, लाहल में स्थापित हैं। उक्त कार्डिंग प्लांटों के माध्यम से जन-जातीय क्षेत्रों के निवासियों की ऊन पिंजाई न्यूनतम मुल्य पर की जाती है।

2. बिक्री केन्द्र :

बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों में 2 बिक्री केन्द्र रिकांगपिओ, रंगरीक/काजा के माध्यम से बोर्ड द्वारा खादी वस्तुओं की बिक्री की जाती है।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2006-2007 में जन-जातीय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त केन्द्रों में की गई उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

केन्द्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	उन पिंजाई की गई	पिंजाई चार्जिज
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. कार्डिंग प्लांट	लाभार्थी	4750	4543	41622 कि० ग्रा०	6.23 (लाख रु)
2. बिक्री केन्द्र	बिक्री लाख	8.00	6.69	—	—

3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम:

बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवकों/पारम्परिक कारीगरों/कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति एवं जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /महिलाओं/शारिरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्वक सैनिक/अल्पसंख्यक समुदाय जिन्होंने उद्योग विशेष में प्रशिक्षण/अनुभव प्राप्त किया हो को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु मार्जिन मनि उपलब्ध करवायी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अनुसूचित जन-जाति

के ऊपर वर्णित लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने हेतु मु0 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना पर 30प्रतिशत तथा शेष पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनि राशि प्रदान की जाती है। इस परियोजना का कार्यन्वयन रिकांगपिओ तथा चम्बा में बोर्ड के सहायक विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से व लाहौल एवं स्पीति का सहायक विकास अधिकारी कुल्लू के माध्यम से किया जा रहा है।

(ड) हिमाचल पथ परिवहन निगम:

अनुसूचित क्षेत्र में पथ परिवहन निगम द्वारा किन्नौर और स्पिति के लिए एक क्षेत्र टापरी के स्थान पर वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था तथा दूसरा लाहौल और पांगी क्षेत्र के लिए केलांग के स्थान पर वर्ष 1981 से कार्यरत है। तीनों क्षेत्रों के पास इस समय 106 यात्री वाहन उपलब्ध हैं। 48 रिकांगपिओ क्षेत्र में तथा 31 केलांग क्षेत्र में और 13 भरमौर तथा पांगी क्षेत्र के लिए उपलब्ध की गई हैं। इसके अतिरिक्त जीप सेवा तथा पांगी क्षेत्र में किलाड़ से बिन्द्रावन तक जीप सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। जन-जातीय क्षेत्र में इस समय परिवहन निगम तथा निजी क्षेत्र द्वारा जन-सुविधा के लिए वाहनों का प्रचार किया जा रहा है। इस समय जन-जातीय क्षेत्र में 20236 किलो मीटर प्रतिदिन का प्रचालन हो रहा है। लाहोल क्षेत्र में बर्फ पड़ने से पूर्व अन्तिम क्षणों तक निगम द्वारा बस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है तथा घाटी में भी पर्याप्त संख्या में यात्री वाहन उपलब्ध हैं ताकि मौसम खुलते ही घाटी के भीतर परिवहन सेवा चालू हो सके।

वर्ष 2006-2007 में निगम को जन-जातीय उप-योजना के अर्न्तगत 100.00 लाख रुपये का अंशदान दिया गया था। यात्री बस सेवाओं का क्षेत्रवार व्योरा इस प्रकार है:-

1.केलांग क्षेत्र:

1.केलांग	—	शिमला
2.मनाली—		शिमला
3.केलांग	—	सरकाघाट
4.केलांग	—	मनाली
5.दारचा	—	चण्डीगढ़
6.केलांग	—	दिल्ली
7.केलांग	—	उदयपुर
8.कुल्लू	—	चण्डीगढ़
9.दारचा	—	गण्डी
10.उदयपुर	—	कुल्लू
11.केलांग	—	कोकसर वाया एकौलथग वाया सुर्वग
12.जाहलमा	—	मण्डी
13.मनाली	—	रोहली
14.केलांग	—	खंगसर
15.कुल्लू	—	रिवाल्सर
16.कुल्लू	—	आनी वाया शिमला

17.त्रिलोक नाथ	—	धर्मशाला
18.मनाली	—	ओट
19.मनाली	—	लेह
20. थिरोट	—	कुल्लू
21. मालगवारी	—	केलांग मनाली
22. किरतिंग	—	मनाली
23. गोन्धला	—	मनाली
24. किलाड़	—	मनाली
25. कुल्लू	—	काजा
26. मनाली	—	मनाली बारी वाया लफशक
27. पुर्थी	—	किलाड़.
28. केलंग	—	टिंगरिट
29. किलाड़	—	साच
30. उदयपुर	—	दिल्ली
31. केलांग	—	त्रिलोकनाथ
32. मनाली	—	हुरलिंग

2. चम्बा क्षेत्र का भरमौर क्षेत्र :

1.चम्बा	—	होली
2.चम्बा	—	भरमौर-1
3.चम्बा	—	भरमौर-2
4.चम्बा	—	भरमौर-होली
5.चम्बा	—	भरमौर
6.भरमौर	—	इन्दौरा
7.चम्बा	—	हडसर
8.चम्बा	—	दियोल
9.बैरागढ़	—	सतरुण्डी (जीप सेवा)
10. चम्बा	—	नयाग्राम
11. पालमपुर	—	नयाग्राम
12. नयाग्राम	—	भरमौर
13. पठानकोट	—	भरमौर
14. धर्मशाला	—	भरमौर
15. पालमपूर	—	होली

3. किलाड़ क्षेत्र

1. किलाड़	—	उदन
-----------	---	-----

2. किलाड — मंगलवास
3. किलाड — धरवास
4. किलाड — केलांग
5. किलाड — सुराल—भटूरी
6. किलाड — सेचू
7. किलाड — सूगलवास
8. किलाड — साच
9. किलाड — मरयालु

4.रिकांगपिओ :

- 1.रिकांगपिओ — चण्डीगढ
- 2.रिकांगपिओ — चण्डीगढ—हरिद्वार
- 3.रिकांगपिओ — हमीरपुर
4. निचार — मण्डी
- 5.पूह — शिमला
- 6.रिकांगपिओ — मण्डी
- 7.काजा — किब्बर—पिन वैली
- 8.रकच्छम — सोलन
- 9.काजा — लोसर
- 10.ठांगी — शिमला
- 11.रामपुर — चांगो
- 12.काफनू — कालका—पनेश
- 13.पूह — झाकड़ी
- 14.टापरी — नाको
- 15.रकच्छम — कल्पा
- 16.काफनू — छितकुल
- 17.टापरी — निचार—सुंगरा—काफनू
- 18.निचार — रोपा
- 19.रिकांगपिओ — कल्पा
- 20.रिकांगपिओ — रारंग
- 21.रिकांगपिओ — देहली
- 22.चांगो — काजा
- 23.रिकांगपिओ — काजा
- 24.रिकांगपिओ — चगांव (दो बार)
- 25.लाबरंग — रिकांगपिओ

26. रिकांगपिओ	—	ठंगी
27. रिब्बा	—	चण्डीगढ़
28. भावानगर	—	धर्मशाला
29. सांगला	—	सरकाघाट
30. सांगला	—	सरकाघाट
31. देयुटी	—	लिप्पा
32. कल्पा	—	चण्डीगढ़
33. शिमला	—	रिकांगपिओ

(च) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम:

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति आयोग, भारत सरकार ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश की थी, कि जिस राज्य में अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए गए हैं वहां इनका कार्यक्षेत्र अनुसूचित जन-जातियों के लिए भी बढ़ाया जाए ताकि अलग से निगम स्थापित करने की आवश्यकता न रहे अनुसूचित जाति विकास निगम को 49 प्रतिशत सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय से प्राप्त हो रही थी तथा यह मामला केन्द्रीय कल्याण मन्त्रालय (जन-जातीय विकास कोष्ठ) से उठाया गया कि क्या उन द्वारा ऐसी संस्था अनुसूचित जन-जातियों के लिए भी उपलब्ध होगी जिन्होंने अपनी सहमति से ऐसा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जो साल-दर-साल प्राप्त हो रही है के अर्न्तगत दी। तदोपरान्त हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984) का अधिनियम संख्या-8, जिस द्वारा मूल अधिनियम (1979 का अधिनियम संख्या-2) में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम के सैक्शन-5 के अधीन निगम का नाम अनुसूचित जाति विकास निगम से बदलकर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम 17 मई, 1984 से कर दिया गया। इस प्रकार 1984-85 के प्रारम्भ से इस निगम के लिए जन-जातीय उप-योजना के अधीन राशि आरक्षित की जा रही है।

वर्ष 1984-85 में निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 2 जिला कार्यालय किन्नौर और लाहौल-स्पिति के लिए स्थापित किए गए। स्पिति, पांगी तथा भरमौर उप-मण्डल अपने-अपने जिला मुख्यालय से दूर स्थित होने के कारण इन उप-मण्डलों के लिए अलग से उप-कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

उद्देश्य:

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का उद्देश्य प्रदेश के निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण, पूँजी अनुदान, सीमांत धन ऋण/सावधि जमा देकर बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देकर स्वरोजगार में स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त ब्याज रहित अध्ययन ऋण तथा ब्याज अनुदान जैसे सहायता कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सुविधा से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है।

निगम के कार्य कलाप:

निगम का प्रारम्भ से ही मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति परिवारों का आर्थिक विकास रहा है जिसके लिए निगम इन परिवारों को अपने नए कारोबार चलाने अथवा पुराने कारोबारों को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों और सरकार के विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचता है। जिसके लिए निगम ने इन विभागों से तालमेल स्थापित किया है। निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(1) स्वरोजगार कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के तहत निगम द्वारा पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति परिवारों को अपना कारोबार चलाने/सुदृढ़ करने के लिए मु0 50,000/- रू0 तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। निगम कुल परियोजना का 25 प्रतिशत भाग सीमांत धन ऋण/डिपॉजिट के रूप में बैंकों को देता है। इसके अतिरिक्त कुल लागत का 50 प्रतिशत मु0 10,000/- रू0 तक की राशि निगम द्वारा पूंजी अनुदान के रूप में भी दी जाती है तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दिलवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कुल लक्ष्य 550 अनुसूचित जनजाति परिवारों के बदले 584 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(2) हिमस्वावलम्बन योजना (एन0एस0टी0एफ0डी0सी0 स्कीम):

वर्ष 1992-93 से निगम बड़ी तथा मंजोली परियोजनाओं के लिए मात्र 6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को राष्ट्रीय निगम के सहयोग से ऋण उपलब्ध करवाता रहा है। इस योजना में छोटी गाड़ियां, टैक्सी, ट्रक, जीप, डेयरी फार्मिंग व होटल/ढाबा आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में तहत केवल उन्ही परिवारों को सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 40,000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000/- रूपये तक हो।

निगम द्वारा वर्ष 2006-07 में लाभान्वित किये गये परिवारों का स्कीमवार विवरण।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	लाभान्वित परिवार (संख्या)	सीमांत धन ऋण (रू0 लाखों में)	राष्ट्रीय निगम का हिस्सा (रू0 लाखों में)	कुल (रू0 लाखों में)
1.	स्टील शटरिंग	2	0.66	5.74	6.40
2.	डेयरी फार्मिंग	1	0.10	0.94	1.04
	कुल	3	0.76	6.68	7.44

(3) हस्त शिल्प विकास योजना:

इस परियोजना के अधीन पारम्परिक व्यवसायों का बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है। इस ऋण सुविधा को परम्परागत व्यवसायों में लगे कारीगर अपनी एक संस्था

बनाकर उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। निगम हस्त शिल्प में लगे कारीगरों को मु0 5,000/— रुपये प्रति कारीगर की दर से बिना ब्याज की दर से संस्था को ऋण उपलब्ध करवाता है। संस्था अपने कारीगर सदस्यों से अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से दिये गये ऋण पर ब्याज ले सकती है जो संस्था के प्रशासनिक भार को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006—07 में 46 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मु0 2.30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई।

(4) उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त अध्ययन ऋण:

निगम ने यह स्कीम वर्ष 1991—92 से प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा पर आने वाले खर्च के लिए निगम द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा मु0 75,000/— रुपये है। यह सुविधा एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, बैटनरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नर्सिंग तथा जे0बी0टी0 आदि कोर्सों के लिए है। निगम द्वारा वर्ष 2006—07 में 11 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मु0 6.60 लाख रुपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम:

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निगम ने वर्ष 1991 से प्रारम्भ किया, इसके तहत निगम को सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर—सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आधुनिक व्यवसायों जैसे कम्प्यूटर, ड्राईविंग, इलैक्ट्रॉनिक्स, सिलाई कटाई, पलम्बर आदि में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले को मु0 500/— रुपये से मु0 750/— रुपये प्रति माह बजीफा व प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भी मानदेह दिया जाता है। वर्ष 2006—07 में इस योजना के अन्तर्गत 126 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षणाधीन लाया गया।